तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
5/11/19	पत्रावली पेश हुई। ~~वकुलाय~~ कार्य स्थगन रहा। अनुपस्थित ... अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 11/11/19 को पेश हो।
11/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./ अनुपस्थित ... अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 18/12/19 को पेश हो।
18/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन हाजिर। तहसीलदार खण्डेला की ओर से जवाब दावा पेश शुदा है जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील वादीगण ने बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस दावा सुनी गयी दौराने बहस तर्क दिये कि भूमि ख०न० 832/1, 832/4, 832/6 किता 3 कुल रकबा 3.2350 है० की खातेदारी वादी के पति-पिता स्व० लिछमण के नाम दर्ज है जिसमें वादीगण के पिता लिछमण की वल्दीयत उसके पिता का नाम नरसा गलत दर्ज है। वादीगण के पिता-पति स्व० लिछमण के पिता का वास्तविक नाम गोपीराम है। वादीगण के पति-पिता स्वर्गीय लिछमण के पिता का उसके अन्य दस्तावेज क्रमशः आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण इत्यादि में सही नाम गोपीराम ही अंकित है। एवं ग्राम हुल्देड़ा तहसील खण्डेला की अन्य भूमियां ख०न०

Scanned by CamScanner

व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	सीकर राज० में अवस्थित कृषि भूमि ख०न० 832/1, 832/4, 832/6 कुल किता-3 कुल रकबा 3.2350 है० की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति-पिता स्वर्गीय छिद्दमल के पिता का नाम नरसा के स्थान पर गोपीराम घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दुरुस्त किया जाकर अमल दरामद हो। इसी भांति डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18/12/19 को सरे इजलास सुनाया। (रणजीत सिंह) RAS. उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	893, 894, 897, 898, 899, 909, ता 91[illegible] 13 रकबा 9.1000 है० एवं ख०नं० 177 224, 225, 226, 229, 230 कुल किता-7 रकबा 1.9700 की खातेदारी में भी वादि[illegible] के पति-पिता लिच्छमण के पिता का ना[illegible] गोपी है दर्ज है परन्तु वाद पत्र की मद[illegible] में वर्णित भूमियो में लिच्छमण के पिता का [illegible] दर्ज है जिस कारण वादीगण का विरासत नामान्तकरण नही खुल रहा है। अतः वाद प[illegible] की मद स०1 में वर्णित भूमियो वादीगण के पिता लिच्छमण के पिता का नाम नरसा [illegible] स्थान पर गोपीराम घोषित किया जा[illegible] हमने बहस वकील वादीगण सुनी। उस पर गौर किया गया। अबतक तहसी[illegible] ग्राम पंचायत दुल्हेपुरा का प्रमाण पत्र दि[illegible] 16-8-19 तथा वादीगन के पिता-पति लिच्छ[illegible] के दस्तावेज क्रमशः राशन कार्ड, आधार [illegible] मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पा[illegible] की फोटो प्रतियो का अवलोकन किया गया अन्य भूमियां (वाद पत्र में मद स०2 में वर्णित) क[illegible] अवलोकन किया गया। जिन से साबित होता है कि वादीगण के पिता लिच्छमण के पिता का सही नाम गोपीराम ही है। अतः वादी[illegible] वाद पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है पारित किया जाकर डिक्री किया जाता है कि:- आदेश [illegible] ग्राम दुल्हेपुरा तहसील: खण्डेला जि[illegible]